Ph: 0510-2471450
E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी

पत्रांक– 2215 / 33–1 / दिनांक, झांसी, अक्टूबर 26, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– Diversion of 0.2886 ha of forest land with felling of 22 trees (0.1144 ha protected forest in Forest Division Orai with felling of 14 trees and 0.1742 ha of protected forest in Forest Division Jhansi with felling of 08 trees) for construction of 765 kv D/C LILOSatna Gwalior transmission line Power Grid Corporation of India Limited-reg.

संदर्भ– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ पत्रांक 8 बी/यू0पी0/04/29/2017/एफ0सी0/01 दिनांक 28.06.2017 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 2767/11–सी–एफ0सी0/यू0पी0 /ट्रान्स/22022 दिनांक 30.06.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुबार निर्धारित प्रारूप में निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रांक 675/33–1 दिनांक 08.08.2017 से प्रयोक्ता विभाग के माध्यमं से आपको प्रेषित किया गया था। मुख्य प्रबन्धक पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 झांसी नें अपने पत्रांक डब्लू0आर0–।। टी0एल0सी0/झांसी/वन विभाग दिनांक 07.09.2017 से अवगत कराया था। कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय द्वारा मौखिक रूप से प्रस्ताव मे लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। प्रभागीय वनाधिकारी झांसी व उरई को लोक निर्माण विभाग की एन0ओ0सी0 प्रयोक्ता विभाग से प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव प्रभागों को वापिस किये गये।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी झांसी ने अपने कार्यालय पत्रांक 1856/15–1 दिनांक 16.10.2017 एवं उरई वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 1204/33–1 दिनांक 23.10.2017 से प्रयोक्ता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाकर प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उपर्युक्त विषयक संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में व निर्धारित प्रारूप में निराकरण सहित संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– 1 संशोधित प्रस्ताव 3 प्रतियों में (मूल में)
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी व उरई के संदर्भित पत्रों की प्रति।

भवदीय

(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– /समदिनांक।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उरई एवं झांसी।
2. मुख्य प्रबन्धक पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, बाहर दतिया गेट झांसी को इस आशय से प्रेषित कि किसी भिज्ञ प्रबन्धक को इस कार्यालय से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त कर नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 1856 /15-1 दिनांक, झांसी, अक्टूबर, 16 2017

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0,
झांसी ।

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषयः– पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, झांसी द्वारा 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–623/11सी–FP/UP/Trans/22022/2016 लखनऊ, दिनांक 31.08.2017 एवं आपका पत्रांक–1340/33–1, दिनांक 09.09.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, झांसी ने अपने कार्यालय पत्रांक WR-II/TLC/JHS/SAT-GWL/395, दिनांक 12.10.2017 से लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रेषित की है ।

उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार 03 प्रतियों में ।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित ।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक – 1204 / 33-1 / उरई, दिनांक अक्टूबर 23 2017।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
वुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0 झांसी।

विषयः– **पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड WR-II झांसी द्वारा 765 केवी सतना ग्वालियर ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 है, संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 है। संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयाग एवं उस पर अवयसथित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के पत्रांक–WR-II/TLC/JHS/SAT-GWL/395 दिनांक 12.10.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में वांछित लोक निर्माण विभागए उरई का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्नकर पुनः प्रस्ताव चार–चार प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बी0आर0 अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।

पृ0सं0– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य प्रवंधक पावर ग्रिड झांसी को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की चारों प्रतियां लेकर सम्बन्धित को वन संरक्षक वुन्देलखण्ड वृत्त झांसी के कार्यालय से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(बी0आर0 अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।